

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 3/22/2025

वउनवान

1. हरी राम सैनी पुत्र हुकमचंद जाति माली उम्र करीब 67 साल नि० भैसड़ावत तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू.  
राजस्व अधि० 1956

उपस्थित:—


श्री अमृतलाल सैनी— अधिवक्ता प्रार्थी  
पैरोकार सरकार — अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 20.06.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खाता सं. 158, 146 वाके ग्राम भैसड़ावत तह० गोविन्दगढ़ जिला अलवर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज हिस्से का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के अन्य खातेदार है। जिनसे प्रार्थी का विवाद नहीं है। मात्र हाल जमाबंदी में प्रार्थी के नाम को हरी राम सैनी की जगह हरि सिंह दर्ज होने से उसे दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। इसलिए सहखातेदारों को अनावश्यक रूप से पक्षकार नहीं बनाया गया है। और प्रार्थी के नाम दर्ज हिस्से को आगे चलकर इस प्रार्थना पत्र में आराजी मुतनाजा के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

प्रार्थी का वास्तविक नाम हरी राम सैनी है तथा प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेज जैसे जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल, बच्चों के राजकीय दस्तावेज सभी में प्रार्थी का नाम हरी राम सैनी पुत्र

  
उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०




हुकमचंद दर्ज है। लेकिन आराजी मुतनाजा कें हाल राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से हरी राम सैनी की जगह हरि सिंह दर्ज कर दिया गया है जबकि हरि सिंह पुत्र हुकमचंद नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं हैं। और ना ही प्रार्थी का नाम हरि सिंह है। उक्त गलत नाम का हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने से प्रार्थी के हित प्रभावित हो रहे है, इसलिए न्यायहित में प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकार्ड में हरि सिंह की स्थान पर हरीराम दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त फरमाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि हाल जमाबंदी खाता सं. 158, 146 वाके ग्राम भैंसड़ावत तह0 गोविन्दगढ़ में प्रार्थी का नाम हरि सिंह पुत्र हुकमचंद के स्थान पर हरी राम सैनी पुत्र हुकमचंद दर्ज कर हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी का जवाब बंद किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का समग्र अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। विभिन्न पहचान पत्र जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम हरी राम सैनी पुत्र हुकमचंद दर्ज है। साथ ही इस न्यायालय के पूर्व आदेश/निर्णय दिनांक 08.02.2024 में प्रार्थी का नाम अन्य आराजी में हरिसिंह पुत्र हुकमचंद के स्थान पर हरी राम सैनी पुत्र हुकमचंद दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है। इसके उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी खाता संख्या 158, 146 वाके ग्राम भैंसड़ावत में दर्ज खसरा नंबर 394 रकबा 0.5564 है0, 423 रकबा 0.5311 है0, 438 रकबा 0.0506 है0, 439 रकबा 0.1265 है0 व खसरा संख्या 457 रकबा 0.1897 है0 में हरिसिंह पुत्र हुकमचंद के स्थान पर हरी राम सैनी पुत्र हुकमचंद शुद्ध करने के आदेश

  
जिला अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

जारी करना यह न्यायालय उचित मानता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया जाता है कि तहसीलदार गोविन्दगढ वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हरि सिंह पुत्र हुकमचन्द के स्थान पर हरी राम सैनी पुत्र हुकमचन्द दर्ज कर दुरुस्त किया जाना सुनिश्चित करें।



(सुभाष-यादव)  
उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ (अलवर) गोविन्दगढ (अलवर)

अतः यह आदेश आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ (अलवर) गोविन्दगढ (अलवर)